Toppersnotes®
Unleash the topper in you

उत्तर प्रदेश पुलिस

सब - इंस्पेक्टर (SI)

Uttar Pradesh Police Recruitment & Promotion Board

भाग - 4

मूलविधि

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023	**1**
2.	महिलाओं एवं बच्चो के प्रति अपराध एवं उनसे संबंधित | कानूनी प्रावधानों/नियमो की जानकारी	**39**
3.	महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान व नियम	**52**
4.	यातायात नियम, सडक संकेत एवं मोटर वाहन अधिनियम	**61**
5.	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	**71**
6.	राष्ट्रीय हरित अधिकरण	**73**
7.	वन्य जीव अधिनियम, 1972	**73**
8.	आयकर अधिनियम, 1961	**75**
9.	भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988	**82**
10.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993	**84**
11.	सूचना का अधिकार अधिनियम	**87**
12.	साइबर अपराध	**90**
13.	सूचना प्रोद्यौगिकी अधिनियम 2005	**91**
14.	जनहित याचिका	**94**
15.	महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय	**96**
16.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980	**103**
17.	अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	**104**
18.	भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण एवं भू-राजस्व सम्बन्धी कानून	**107**
19.	पुलिस एवं प्रशासन	**130**
20.	भारत और उसके पड़ोसी देश	**140**

1 CHAPTER

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारत सरकार द्वारा आपराधिक कानूनों से सम्बन्धित तीन प्रमुख अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किया गया है, जो कि क्रमशः भारतीय दण्ड संहिता 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेंगे। उक्त पारित अधिनियमों को 01 जुलाई, 2024 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त, आधुनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान करने के लिए, कानूनी प्रावधानों में पारदर्शिता लाने तथा तकनीक व फोरेन्सिक की सहायता से जांच की गुणवत्ता में उन्नति के लिए तथा विभिन्न प्रक्रियाओं में समय सीमा निर्धारित करने के लिए उत्त अधिनियम पारित किये गये हैं, ताकि आपराधिक मामले में दोषसिद्धि दर में सुधार हो सके और विहित समय सीमा के तहत पीड़ित को न्याय मिल सके।

भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कई बदलाव किए गए हैं:

1. बीएनएस में धाराओं की संख्या 358 है, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थीं।

- बीएनएस में 20 नए अपराधों को शामिल किया गया है ।
- 33 अपराधों में सज़ा अवधि बढ़ाई गई है ।
- 83 अपराधों में जुर्माने की रकम बढ़ाई गई है ।
- 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा का प्रावधान है ।
- बीएनएस में सज़ा के तौर पर सामुदायिक सेवा की शुरुआत की गई है ।
- एक ही अध्याय के तहत अपूर्ण अपराधों को समूहीकृत किया गया है ।
- बीएनएस के अध्याय V में बच्चों और महिलाओं के ख़िलाफ़ अपराधों के बारे में प्रावधान किए गए हैं ।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक अध्याय में समेकित किया गया है ।
- धारा 69 : झूटे वादे पर यौन संबंध बनाने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है ।
- धारा 70 (2) : सामूहिक बलात्कार की सजा में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है ।

2. सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 की गई ।

- 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया ।
- 9 नई धाराएं जोड़ी गई ।
- 14 धाराएं निरस्त की गईं ।
- जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा ।
- मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्मानों में वृद्धि की गई है ।
- FIR प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा को सुव्यवस्थित करना ।
- धारा 173 : जीरो FIR और e-FIR का प्रावधान किया गया है ।
- धारा 176 (1)(ख) : यह कानून ऑडियो-वीडियो के माध्यम से पीड़ित को बयान रिकॉर्डिंग का अधिकार देता है ।

3. आईए में धाराओं की संख्या 167 से बढ़ाकर बीएसए 170 की गई ।

- 24 धाराएं बदली गई ।
- 2 नई धाराएं जोड़ी गई ।
- 6 धाराएं निरस्त की गई ।
- इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में मान्यता देता है ।
- डिजिटल साक्ष्य प्रामाणिकता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है ।
- धारा 2 (1)(घ) : दस्तावेजों की विस्तारित परिभाषा ।
- धारा 61: डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता में समानता दी गई है ।
- धारा 62 और 63 : इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता दी गई है ।

महिलाएं और बच्चे

- नए आपराधिक कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए 37 धाराएं शामिल हैं।
- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में लिंग तटस्थ बनाया गया है। (धारा 2 बीएनएसएस)
- 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। (धारा 70 बीएनएस)
- झूठे वादे या छद्म पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। (धारा 69 बीएनएस)
- चिकित्सकों को बलात्कार से पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजने का आदेश दिया गया है। (धारा 51 (3) बीएनएसएस)

न्याय प्रणाली में प्रौद्योगीकी का समावेश

- आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी चरणों का व्यापक डिजिटलीकरण किया गया। इसमें ई-रिकॉर्ड, जीरो-FIR, e-FIR, समन, नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करना और ट्रायल शामिल हैं। (धारा 173 बीएनएसएस)

- पीड़ितों के इलेक्ट्रॉनिक बयान के लिए ई-बयान तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुतों, विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए e-Appearance की शुरूआत की गई। (धारा 530 बीएनएसएस)
- 'दस्तावेजों' की परिभाषा में सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वॉयस संदेश शामिल होंगे। साक्ष्य का कानून अब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को अदालतों में भौतिक साक्ष्य के बराबर मानता है। (धारा (2(1)(d)) बीएसए)
- कानून के तहत द्वितीयक साक्ष्य का दायरा व्यापक हो गया है जिसमें मौखिक स्वीकारोत्ति, लिखित स्वीकारोत्ति और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। (धारा 58 बीएसए)
- तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी के लिए प्रक्रियाएं शुरू की गई, जिसमें जब्त वस्तुओं की सूची और गवाहों के हस्ताक्षर तैयार करना शामिल है। (धारा 105 बीएनएसएस)

पीड़ित-केन्द्रित दृष्टिकोण

- यह पीड़ित को आपराधिक कार्यवाही में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है तथा उसे मुकदमा वापस लेने से पूर्व सुने जाने का अधिकार प्रदान करता है। (धारा 360 बीएनएसएस)
- पीड़ित को FIR की एक प्रति प्राप्त करने तथा उसे 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार है। (धारा 193 (3)(ii) बीएनएसएस)
- गवाहों को धमकियों और भय से बचाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, गवाह संरक्षण योजना की शुरूआत की गई। (धारा 398 बीएनएसएस)
- बलात्कार पीड़िता का बयान केवल महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा। (धारा 183 (6)(ए) बीएनएसएस)

अपराध एवं दंड को पुन परिभाषित किया गया

- छीनाझपटी एक संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध है। (धारा 304 बीएनएस)
- 'आतंकवादी कृत्य' की परिभाषाः इसमें ऐसे कृत्य शामिल हैं जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं या किसी समूह में आतंक फैलाते हैं। (धारा 113 बीएनएस)
- 'राजद्रोह' में परिवर्तन : 'राजद्रोह' के अपराध को समाप्त कर दिया गया है तथा भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करने के लिए 'देशद्रोह' शब्द का प्रयोग किया है। (धारा 152 बीएनएस)
- 'मॉब लिंचिंग' को एक ऐसे अपराध के रूप में शामिल किया गया जिसके लिए अधिकतम सजा मृत्युदंड है। (धारा 103 (2) बीएनएस)
- संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। (धारा 111 बीएनएस)

समय पर और शीघ्र न्याय

- समयावधि के लिए बीएनएसएस में 45 धाराओं को जोड़ा गया है।
- आरोप पर पहली सुनवाई के प्रारंभ से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। (धारा 251 बीएनएसएस)
- आरोप तय होने की तारीख से 90 दिन पूरे होने के बाद घोषित अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में अभियोजन की कार्यवाही शुरू होनी चाहिए। (धारा 356 बीएनएसएस)
- अभियोजन के लिए मंजूरी, दस्तावेजों की आपूर्ति, प्रतिबद्ध कार्यवाही, निर्वहन याचिकाओं को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। (धारा 251, 258 बीएनएसएस)
- आपराधिक कार्यवाही में दो से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं है। (धारा 346 बीएनएसएस)
- समन जारी करने और उसकी तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। (धारा 530 बीएनएसएस)

आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन

- मजिस्ट्रेटों को उन मामलों में समरी ट्रायल करने का अधिकार है जिनमें तीन वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
- समय पर न्यायः आरोप पर पहली सुनवाई शुरू होने से 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। किसी भी आपराधिक अदालत में मुकदमे के समापन के बाद, निर्णय की घोषणा में 45 दिनों से अधिक समय नहीं लगेगा। (धारा 251, 258 बीएनएसएस)
- अभियोजन निदेशालयः राज्य में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित होगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय होंगे। अभियोजन निदेशालय न्यायलयों में मामलों की कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने और मानीटर करेंगे। (धारा 20 बीएनएसएस)

पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता

- तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। (धारा 105 बीएनएसएस)
- कोई भी गिरफ्तारी, ऐसे अपराध के मामलों में जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 वर्ष से अधिक की आयु का है, ऐसे अधिकारी, जो पुलिस उप-अधीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। (धारा 35 (7) बीएनएसएस)
- गिरफ्तारी, तलाशी, जब्ती और जांच में पुलिस की जवाबदेही बढ़ाने के लिए 20 से अधिक धाराएं शामिल की गई हैं।
- असंज्ञेय मामलों में, ऐसे सभी मामलों की दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से भेजी जाएगी। (धारा 174 (1)(ii) बीएनएसएस)

भारतीय न्याय संहिता 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

क्रम संख्या	धारा	विषय-वस्तु	टिप्पणी
1	धारा 2(3)	बालक की परिभाषा	बालक वह व्यक्ति है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है।
2	धारा 48	भारत के बाहर अपराध का दुष्प्रेरण	साइबर अपराध, आतंकवाद एवं आर्थिक अपराधों को ध्यान में रखकर।
3	धारा 69	प्रवंचनापूर्ण साधनों से मैथुन	शादी, नौकरी या प्रमोशन का झांसा देकर मैथुन कारित करना। सजा: 10 वर्ष और जुर्माना।
4	धारा 95	अपराध के लिए बालक का उपयोग	सजा: न्यूनतम 3 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष और जुर्माना। यदि बालक से अपराध कराया गया, तो अपराध के लिए प्रावधानित सजा भी दी जाएगी।
5	धारा 103(2)	मोब लिंचिंग	5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा हत्या: सजा मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना।
6	धारा 106(2)	हिट एंड रन केस	उतावलेपन या उपेक्षा से मृत्यु कारित करना और भाग जाना। सजा: 10 वर्ष और जुर्माना।
7	धारा 111	संगठित अपराध	मृत्यु होने पर: सजा मृत्यु या आजीवन कारावास और ₹10 लाख जुर्माना। अन्यथा: सजा 5 वर्ष से आजीवन कारावास और ₹5 लाख जुर्माना।
8	धारा 112	संगठित तुच्छ अपराध	सजा: न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष और जुर्माना।
9	धारा 113	आतंकवाद	सजा: मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। अन्यथा: न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास।
10	धारा 152	भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कार्य	सजा: आजीवन कारावास या 7 वर्ष और जुर्माना।
11	धारा 226	लोक सेवक को विवश करने हेतु आत्महत्या का प्रयास	सजा: 1 वर्ष, जुर्माना या दोनों। सामुदायिक सेवा का प्रावधान भी।
12	धारा 303(2)	चोरी की संपत्ति का मूल्य ₹5000 से कम होने पर सामुदायिक सेवा	चोरी की गई संपत्ति वापस करने या प्रत्यावर्तित करने पर सामुदायिक सेवा से दंड।
13	धारा 304	झपटमारी	सजा: 3 वर्ष तक और जुर्माना।
14	धारा 324(3)	सरकारी या स्थानीय संपत्ति की हानि	सजा: 1 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों।
15	धारा 324(5)	₹1 लाख या अधिक की संपत्ति की हानि	सजा: 5 वर्ष तक या जुर्माना या दोनों।
16	धारा 358	निरसन और व्यावृत्ति	विवरण उपलब्ध नहीं।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के वह प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित नहीं हैं

धारा	शीर्षक	भारतीय दण्ड संहिता 1860 (पुरानी स्थिति)	भारतीय न्याय संहिता 2023 (नई स्थिति)
13	क्वीन की परिभाषा	परिभाषित	निरसित
14	सरकार का सेवक	परिभाषित	यथावत
15	ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा	परिभाषित	निरसित
18	भारत	परिभाषित	यथावत
53क	निर्वासन के प्रति निर्देश	परिभाषित	यथावत
124क	राजद्रोह	परिभाषित	निरसित (नई धारा 152 में समाहित)
161-165	लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार	परिभाषित	निरसित

216ख	"संश्रय" की परिभाषा	परिभाषित	निरसित
226	निर्वासन से विधि-विरुद्ध वापसी	परिभाषित	निरसित
236-267	बाट और माप से संबंधित अपराध	परिभाषित	यथावत
309	आत्महत्या का प्रयास	अपराध	अपराध नहीं
377	प्रकृति विरुद्ध अपराध	अपराध (अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन)	निरसित
478, 480	मिथ्या व्यापार चिह्न	परिभाषित	निरसित
497	जारकर्म	अपराध (अनुच्छेद 14, 15, 21 का उल्लंघन)	निरसित

भारतीय दण्ड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

क्र0स0	B.N.S. की धारा	टिप्पणी
1	धारा 2(10)	"लिंग" की परिभाषा में ट्रांसजेंडर को सम्मिलित किया गया है, जैसा ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकार का संरक्षण) अधिनियम 2019 में है।
2	धारा 4	"सामुदायिक सेवा" को दंड के रूप में प्रावधानित किया गया, जो निम्न अपराधों के लिए लागू होगा (उदाहरण: धारा 209, 355)।
3	धारा 27, 107	"विकृतचित व्यक्ति" की जगह "विक्षिप्त व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया गया है।
4	धारा 70(2)	गैंग रेप मामलों में 18 वर्ष से कम आयु की महिला पर अपराध के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया।
5	धारा 73	महिलाओं से संबंधित अपराधों में न्यायालय की अनुमति के बिना कार्यवाही प्रकाशित करने पर प्रतिबंध (2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना)।
6	धारा 96	"अप्राप्तव्य लड़की" की जगह "बालक" शब्द का प्रयोग कर लिंग भेद समाप्त किया गया।
7	धारा 98, 99	वेश्यावृत्ति में "अप्राप्तव्य का बेचना/खरीदना" की जगह "बालक" शब्द जोड़ा गया।
8	धारा 116	"घोर उपहति" के लिए न्यूनतम समय सीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी गई।
9	धारा 117(3)	स्थायी विकलांगता के मामलों में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान।
10	धारा 141	विदेश से "बालक/बालिका" के आयात को अपराध माना गया।
11	धारा 153	"एशियाई शक्ति" की जगह "विदेशी राज्य" शब्द का उपयोग किया गया।
12	धारा 249	पति-पत्नी की जगह "स्पाउस" शब्द शामिल किया गया।
13	धारा 268	जूरी पद्धति निरसित, केवल "ऐसेसर का प्रतिरूपण" का प्रावधान।
14	धारा 295	अश्लील पुस्तकों की बिक्री के लिए आयु सीमा 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
15	धारा 305	निवास गृह, यातायात साधन, पूजा स्थल में चोरी के लिए सख्त प्रावधान।
16	धारा 308	उद्दापन के लिए सजा 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई।
17	धारा 313	चोरों के साथ लुटेरों की टोली में होने के लिए भी सजा का प्रावधान।
18	धारा 317(1)	चोरी की गई संपत्ति में "छल से प्राप्त संपत्ति" को शामिल किया गया।
19	धारा 327	जलयान के साथ रेल और वायुयान को भी अपराध की परिभाषा में सम्मिलित किया गया।
20	धारा 340(1)	"कूटरचना" में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को भी सम्मिलित किया गया।

सजा / जुर्माने में हुए संशोधन से सम्बन्धित प्रावधान

क्र.सं.	भारतीय दण्ड संहिता 1860	भारतीय न्याय संहिता 2023
1	धारा-117 - लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण सजा - 03 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना या दोनों	धारा-57 - लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किये जाने का दुष्प्रेरण
		सजा - 07 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना

2	धारा-373 - वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को खरीदना के अपराध	धारा-99 - वैश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को खरीदना के अपराध
	सजा - 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	सजा - 07 वर्ष से कम नहीं किन्तु 14 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना
3	धारा-303 - आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड के अपराध	धारा-104 - आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड के अपराध
	सजा - मृत्युदण्ड	सजा - मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास
4	धारा-304 - हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध	धारा-105 - हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध
	पैरा 1 - आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	पैरा 1 - आजीवन कारावास या 05 वर्ष से कम नहीं, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
	पैरा 2 - 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	पैरा 2 - 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
5	धारा-304A - उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराध	धारा-106(1) - उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने का अपराध
	सजा - 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 05 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना
6	धारा-343 - 03 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध	धारा-127(3) - 03 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध
	सजा - 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 03 वर्ष तक का कारावास या 10000/- रूपये तक का जुर्माना या दोनों
7	धारा-344 - 10 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध	धारा-127(4) - 10 या अधिक दिनों के लिए, सदोष परिरोध का अपराध
	सजा - 03 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना	सजा - 05 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 10000/- से कम का नहीं होगा
8	धारा-406 - आपराधिक न्यासभंग	धारा-316(2) - आपराधिक न्यासभंग
	सजा - 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
9	धारा-418 - इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है	धारा-318(3) - इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है
	सजा - 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
10	धारा-323 - स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड	धारा-115(2) - स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड
	सजा - 01 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों	सजा - 01 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 10000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों
11	धारा-148 - घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करने के लिए दण्ड	धारा-191(3) - घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा करने के लिए दण्ड
	सजा - 03 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
12	धारा-182 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोकसेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे	धारा-217 - इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोकसेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे
	सजा - छः माह तक का कारावास या जुर्माना जो 1000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों	सजा - 01 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 10000/- रूपये तक हो सकेगा या दोनों
13	धारा-426 - रिष्टि के लिए दण्ड	धारा-324(2) - रिष्टि के लिए दण्ड
	सजा - तीन माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - छः माह तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
14	धारा-427 - 50 रूपये तक की सम्पत्ति की रिष्टि	धारा-427 - 20000/- रूपये से लेकर 100000/- से कम तक की सम्पत्ति की रिष्टि

	सजा - 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
15	धारा-428 - 10 रुपये के मूल्य के जीवजन्तु का वध करने या उसे विकलांग करने की रिष्टि	धारा-325 - किसी जीव जन्तु या ढोर की रिष्टि
	सजा - 02 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों	सजा - 05 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

भारतीय दण्ड संहिता 1860 व भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

अध्याय- 16 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में)		**अध्याय- 06 (मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में)**	
299	आपराधिक मानव वध	100	आपराधिक मानव वध
300	हत्या	101	हत्या
301	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध	102	जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध
302	हत्या के लिए दण्ड	103	हत्या के लिए दण्ड
303	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड	104	आजीवन सिद्धदोष द्वारा हत्या के लिए दण्ड
304	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड	105	हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दण्ड
304 क	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना	106	उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना
304 ख	दहेज मृत्यु	80	दहेज मृत्यु
305	शिशु या उन्मक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण	107	शिशु या उन्मक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण (संशोधित)***
306	आत्महत्या का दुष्प्रेरण	108	आत्महत्या का दुष्प्रेरण
307	हत्या करने का प्रयत्न	109	हत्या करने का प्रयत्न
308	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न	110	आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न
309	आत्महत्या करने का प्रयत्न	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
310	ठग		
311	दण्ड		
312	गर्भपात कारित करना	88	गर्भपात कारित करना
313	स्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना	89	स्ती की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना
314	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु	90	गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु
315	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य	91	शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य
316	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना	92	ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना
317	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग	93	शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा बारह वर्ष से कम आयु के शिशु का अरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग
318	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना	94	मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना

उपहति के विषय में		उपहति के विषय में	
319	उपहति	114	उपहति
320	घोर उपहति	116	घोर उपहति (संशोधित)***
321	स्वेच्छया उपहति कारित करना	115 (1)	स्वेच्छया उपहति कारित करना
322	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	117 (1)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
323	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड	115 (2)	स्वेच्छया उपहति कारित करने के लिए दण्ड
324	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना	118	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करना
325	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड	117 (2)	स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए दण्ड (117 (3) नई धारा जोड़ी गयी है)संशोधित ***
326	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	118	खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326 क	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	124 (1)	अम्ल, आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
326 ख	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना	124 (2)	स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना
327	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	119	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
328	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना	123	अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना
329	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने केलिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	119	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने केलिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
330	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना	120	संस्वीकृति उद्दापित करने या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
331	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश कर के सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना	121	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश कर के सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
332	लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना		लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया उपहति कारित करना
333	लोक सेवक को अपने कर्तन्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना		लोक सेवक को अपने कर्तव्यों से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना
334	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना	122	प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना
335	प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना		प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना

336	कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो	125		कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो
337	ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए			ऐसे कार्य द्वारा उपहति कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
338	ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए			ऐसे कार्य द्वारा घोर उपहति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए
सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में		**सदोष अवरोध और सदोष परिरोध के विषय में**		
339	सदोष अवरोध	126		सदोष अवरोध
341	सदोष अवरोध के लिए दण्ड			सदोष अवरोध के लिए दण्ड
340	सदोष परिगोध	127	(1)	सदोष परिरोध
342	सदोष परिरोध के लिए दण्ड		(2)	सदोष परिरोध के लिए दण्ड
343	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध		(3)	तीन या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
344	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध	127	(4)	दस या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध
345	ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है		(5)	ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है
346	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध		(6)	गुप्त स्थान में सदोष परिरोध
347	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध		(7)	सम्पत्ति उद्दापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध
348	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध		(8)	संस्वीकृति उद्दापित करने के लिए या विवश करके सम्पत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिगोध
आपराधिक बल और हमले के विषय में		**आपराधिक बल और हमले के विषय में**		
349	बल	128		बल
350	आपराधिक बल	129		आपराधिक बल
351	हमला	130		हमला
352	गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड	131		गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दण्ड
353	लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	132		लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354	स्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	74		स्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354 क	लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड	75		लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड
354 ख	विवस्त्र करने के आशय से स्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	76		विवस्त करने के आशय से स्ती पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
354 ग	दृश्यरतिकता	77		दृश्यरतिकता
354 घ	पीछा करना	78		पीछा करना
355	गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	133		गम्भीर प्रकोपन होने से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग

356	किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	134		किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली सम्पत्ति की चोरी के प्रयत्नों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
357	किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयलों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	135		किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने के प्रयलों में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग
358	गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग	136		गम्भीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालत्रम के विषय में
व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालत्श्रम के विषय में		**व्यपहरण, अपहरण, दासत्व और बालत्श्रम के विषय में**		
359	व्यपहरण	137	(1)	व्यपहरण
360	भारत में व्यपहरण		(a)	भारत में व्यपहरण
361	विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण		(b)	विधिपर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण
363	व्यपहरण के लिए दण्ड		(2)	व्यपहरण के लिए दण्ड
362	अपहरण	138		अपहरण
363 क	भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण	139		भीख माँगने के प्रयोजनों के लिए अप्राप्तवय का व्यपहरण या विकलांगीकरण
364	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण	140	(1)	हत्या करने के लिए व्यपहरण या अपहरण
364 क	मुक्ति-धन इत्यादि, के लिए व्यपहरण		(2)	मुक्ति-धन इत्यादि, के लिए व्यपहरण
365	किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण	(3)		किसी व्यक्ति का गुप्त रीति से और सदोष परिरोध करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण

367	व्यक्ति की ओर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण	140	व्यक्ति की ओर उपहति, दासत्व, आदि का विषय बनाने के उद्देश्य से व्यपहरण या अपहरण
366	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्रि को व्यपहृत करना, अपहृत करना, या उत्प्रेरित करना	87	विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्री को व्यपहृत करना, अपहृत करना, या उत्प्रेरित करना
366 क	अप्राप्तव्य लड़की का उपापन	96	बालक का उपापन (संशोधित)***
366 ख	विदेश से लड़की का आयात करना	141	विदेश से लड़की या लड़के का आयात करना (संशोधित)***
368	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना	142	व्यपहृत या अपहृत व्यक्ति को सदोष छिपाना या परिरोध में रखना
369	दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण	97	दस वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर से चोरी करने के आशय से उसका व्यपहरण या अपहरण
370	व्यक्ति का दुर्यापार	143	व्यक्ति का दुर्यापार
370 क	ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण	144	ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है शोषण
371	दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना	145	दासों का अभ्यासिक व्यवहार करना
372	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवव्य को बेचना	98	वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना (संशोधित)***
373	वेश्वावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना	99	वेश्वावृत्ति, आदि के प्रयोजन के लिए बालक का खरीदना (संशोधित)***
374	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम	146	विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम

यौन अपराध के विषय में		अध्याय - 5 महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध (यौन अपराध के विषय में)	
375	बलात्संग	63	बलात्संग
376	बलात्संग के लिए दण्ड	64	बलात्संग के लिए दण्ड
376 (3)	सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग	65 (1)	सोलह वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्संग
376 क	पीडिता की मृत्यु या लगातार विकृत्तशील दशा कारित करने के लिए दण्ड	66	पीडिता की मृत्यु या लगातार विकृत्तशील दशा कारित करने के लिए दण्ड
376 क ख	बारह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्संग के लिए दण्ड	65 (2)	बारह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्संग के लिए दण्ड
376 ख	पति द्वारा पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान सम्भोग	67	पति द्वारा पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान सम्भोग
376 ग	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा सम्भोग	68	प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा सम्भोग
376 घ	सामूहिक बलात्कार	70 (2)	सामूहिक बलात्कार, 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए दण्ड (संशोधित)***
376 घ क	16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के लिए दण्ड		
376 घ ख	बारह वर्ष से कम आयु की महिला पर बलात्संग सामूहिक दुष्कर्म के लिए दण्ड		
376 ङ	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिये दण्ड	71	पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिये दण्ड
अध्याय- 20 विवाह सम्बन्धी अपराधों के विषय में		**अध्याय - 5 महिला एवं बच्चों के विरूद्ध अपराध (विवाह सम्बन्धी अपराध)**	
493	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास	81	विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास
494	पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना	82	पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना
495	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है	82 (2)	वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपाकर जिसके साथ पश्चात्वर्ती विवाह किया जाता है
496	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना	83	विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना
497	जारकर्म	**संहिता में प्रावधान नहीं है।**	
498	विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना	84	विवाहिता स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना
अध्याय- 20 क पति या पत्नी के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में		**अध्याय - 5 महिला एवं बच्चों के विरुद्ध अपराध (पति या पत्नी के नातेदार द्वारा क्रूरता)**	
498 क	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना	85	किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना
	स्पष्टीकरण - क्रूरता परिभा	86	क्रूरता की परिभाषा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जोड़ी गयी नयी धाराऐं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 2 (1) (क)	ऑडियो-वीडियो इलैक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग।
2	धारा 2 (1) (ख)	जमानत पर अभियुक्त को शर्तों के अधीन छोड़ा जाना।

3	धारा 2 (1) (घ)	जमानत बंधपत्र, जिसमें प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने की प्रक्रिया।
4	धारा 2 (1) (ङ)	बिना प्रतिभूति के वैयक्तिक बंधपत्र द्वारा छोड़ा जाना।
5	धारा 2 (1) (झ)	इलैक्ट्रानिक संसूचना।
6	धारा 82 (2)	गिरफ्तारी की सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों को देना।
7	धारा 86	उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की, और जब्ती।
8	धारा 105	श्रव्य-दृश्य माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख।
9	धारा 107	अपराधी क्रियाकलाप से अर्जित संपत्ति की कुर्की और जब्ती।
10	धारा 172	विधिपूर्ण निर्देशों के पालन हेतु व्यक्तियों को बाध्य करना।
11	धारा 336	लोकसेवक, विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य।
12	धारा 356	अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय।
13	धारा 398	साक्षी संरक्षण योजना।
14	धारा 472	मृत्यु दंड के मामले में दया याचिका।
15	धारा 530	सभी कार्यवाही इलैक्ट्रानिक मोड में।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

क्र0सं0	धारा	विवरण
1	धारा 8	महानगर क्षेत्र से संबंधित प्रावधान।
2	धारा 10	सहायक न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना।
3	धारा 16	महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय।
4	धारा 17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट।
5	धारा 18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट।
6	धारा 19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना।
7	धारा 27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता।
8	धारा 144 क	आयुध सहित जुलूस, सामूहिक कवायद, या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिबंध की शक्ति।
9	धारा 153	बाटों और मापों का निरीक्षण।
10	धारा 355	महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय।
11	धारा 404	महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्रावधानित किये गये हैं

क्र0सं0	BNSS धारा	विवरण
1	धारा 20	अभियोजन निदेशालय - इस संहिता में राज्य स्तर और प्रत्येक जिला स्तर पर अभियोजन निदेशालय के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य अभियोजन निदेशालय - निदेशक अभियोजन और उप निदेशक अभियोजन राज्य निदेशालय में निदेशक या उप निदेशक के पद की योग्यता - कम से कम 15 वर्ष अधिवक्ता रहा हो या सेशन जज हो या रह चुका हो। जिला अभियोजन निदेशालय - उप निदेशक और सहायक निदेशक जिला निदेशालय में उप निदेशक या सहायक निदेशक के पद की योग्यता - कम से कम 07 वर्ष अधिवक्ता रहा हो या न्यायिक मजिस्ट्रेट 'प्रथम श्रेणी' हो।
2	धारा 35 (7)	नई संहिता में खण्ड (7) जोड़ी गयी है। ऐसे किसी मामले में जिसमें 03 वर्ष से कम कारावास की सजा हो किसी अशक्त व्यक्ति या 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की गिरफ्तारी ऐसे किसी पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी जो पुलिस उपाधीक्षक के पद से निम्न न हो। (यद्यपि धारा 35 के उपबंध के अनुसार 7 वर्ष से कम कारावास की सजा वाले अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है किंतु धारा 35(7) के अनुसार 3 वर्ष से कम की कारावास की सजा वाले अपराध में यदि 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की गिरफ्तारी आवश्यक हो तो विवेचक को ठोस प्रमाण के साथ पुलिस उपाधीक्षक से अनिम्न अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित करना चाहिए कि अभियुक्त की गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है। ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष गिरफ्तारी की आवश्यकता साबित की जा सके)

Unleash the topper in you

3	धारा 37	प्रत्येक थाने पर व जिले में स्थापित पुलिस नियंत्रण कक्ष में विहित प्राधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो सहायक उप निरीक्षक के पद से निम्न नहीं होगा, ऐसा विहित प्राधिकारी नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सूचनाओं के अनुरक्षण के लिए दायित्वाधीन होगा।
		(प्रत्येक जिले के कंट्रोल रूम में एक टेलीफोन नंबर स्थापित किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने थाने के पदाविहित अधिकारी एवं जिले के कंट्रोल रूम का (जिले के पदाविहित अधिकारी का नंबर) ज्ञात होना चाहिए, जब भी पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करेगा को तत्काल पदाविहित अधिकारी को गिरफ्तारी के आधारों, के संबंध में सूचित करेगा। इसका अंकन सूचना मेमो मे भी कर दिया जाये)
4	धारा 40	नई संहिता में धारा 40 के अनुसार जब कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह ऐसे गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब किये बिना 06 घण्टे भीतर पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या करवा देगा या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने ले जायेगा या भिजवायेगा।
5	धारा 43	धारा 43 में नया खण्ड (3) जोड़ा गया है। पुलिस अधिकारी अपराध की गम्भीरता व प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अभ्यस्ततः अपराधी, अभिरक्षा से फरार होने वाले अपराधी या ऐसा अपराधी जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, हत्या, बलात्कार आदि उल्लिखित अपराध कारित किया हो, को गिरफ्तारी के समय या न्यायालय से समक्ष प्रस्तुत करते समय हथकड़ी लगा सकता है। (पुलिस लाइन के रिजर्व इंस्पेक्टर तथा थानाध्यक्ष अपने अधीनस्थ प्रत्येक अधिकारियों /कर्मचारियों को धारा 43 (गिरफ्तारी कैसे की जायेगी) के अंतर्गत गिरफ्तारी के समय हथकड़ी लगाने के नियमों के संबंध में समुचित रूप से अवगत कराएं ताकि प्रत्येक कर्मचारी को ज्ञात हो कि उन्हें किन-किन धाराओं में अभियुक्त की गिरफतारी में हथकड़ी लगाना है)
6	धारा 48	गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त व्यक्ति के रिश्तेदारों और नातेदारों के अतिरिक्त धारा 37 के तहत थाने पर व जिला नियंत्रण कक्ष में नियुक्त विहित प्राधिकारी को भी दी जायेगी।
7	धारा 63	समन इलैक्ट्रानिक रूप में भी हो सकता है।
8	धारा 64	समन की तामील ऐसे इलैक्ट्रानिक संसूचना के साधनों द्वारा भी करायी जा सकती है, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे।
9	धारा 64 (परन्तुक)	पुलिस थाना या न्यायालय का रजिट्रार पता, ई - मेल पता, फोन नम्बर और ऐसे अन्य ब्यौरे जिन्हे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबन्धित करे, की प्रविष्ट के लिए एक रजिस्टर रखेगा।
10	धारा 82 (2)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 82 (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधरणतः निवास करता है, को तुरन्त जानकारी देगा। (टिप्पणी - जब वारंट की तामील अन्य जिले में की जाए तो गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी की सूचना (गिरफ्तारी के आधार, वह स्थान जहां गिरफ्तार व्यक्ति रखा गया है) अपने जिले के पदाविहित अधिकारी को देने के साथ ही उस जिले के पदाविहित अधिकारी को भी देगा जिस जिले में गिरफ्तारी की गई है को भी देगा इसका अंकन सूचना मेमो में भी कर दिया जाये)
11	धारा 84	फरार व्यक्तियों की उदघोषणा - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 में कतिपय धाराओं में ही किसी फरार अभियुक्त को उदघोषित अपराधी की उदघोषणा की जा सकती थी। वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऐसे अपराध जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास, आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय है, में ही किसी अभियुक्त को उदघोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है।
12	धारा 157	इस धारा के तहत की जाने वाली कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र या 90 दिन के अन्दर पूरी की जायेगी जो कारणों को उल्लिखित करते हुए 120 दिन तक बढायी जा सकती है।
13	धारा 173 (1)	संजेय अपराध की इत्तिला - संजेय अपराध के किये जाने से सम्बन्धित प्रत्येक इत्तिला, उस क्षेत्र पर विचार किये बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी (जीरो F.I.R. को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी गई है)

14	धारा 173 (1) (ii)	संज्ञेय अपराध की सूचना - संज्ञेय अपराध की सूचना इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से दिये जाने का भी प्रावधान किया गया है (E-F.I.R.) ऐसी संसूचना जो इलैक्ट्रानिक माध्यम से दी जायेगी उस पर शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर 03 दिन के अन्दर कराये जाऐंगे।
15	धारा 173 (3)	धारा 175 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे मामले जिसमें किसी ऐसे अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है जो 03 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 07 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है, तो थाने का
		भारसाधक अधिकारी ऐसे किसी पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपाधीक्षक से निम्न पद का न हो, से पूर्व अनुमति प्राप्त कर मामले में प्रारम्भिक जांच यह सुनिश्चित करने हेतु कर सकता है कि प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है या नहीं। ऐसी प्रारम्भिक जांच 14 दिन के अन्दर की जाऐगी। यदि मामले में जांच के दौरान प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो अन्वेषण की अग्रेतर कार्यवाही की जाऐगी। (जांच किस अपराध में होगी यह अपराध की गम्भीरता एवं प्रकृति पर निर्भर करेगा)
16	धारा 174 (1) (ii)	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 155 (1) के अनुसार जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमाओं के अन्दर असंज्ञेय अपराध किये जाने की इत्तला दी जाती है तब वह ऐसी इत्तला का सार ऐसी पुस्तक में जो ऐसे अधिकारी द्वारा ऐसे प्रारूप में रखी जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित्त विहित करे, प्रविष्ट करेगा या प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में धारा 174 (1) (2) के अनुसार थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
17	धारा 175	संजेय मामले में अन्वेषण में पुलिस अधिकारी की शक्ति -धारा 175 खण्ड (1) में परन्तुक जोड़ा गया है, जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक मामले की गम्भीरता और प्रकृति को देखते हुए मामले में अन्वेषण किसी पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधीकारी से करा सकते हैं। (टिप्पणी - परंतु के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस मुख्यालय के माध्यम से एस0ओ0पी 0 का निर्माण कर ऐसे अपराधों की सूची जारी की जा सकती है जिन मामलों में C.O. ही विवेचना करेंगे, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक समय समय पर मामलों की प्रकृति एवं गंभीरता पर स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि किस मामले की विवेचना C.O. द्वारा ही की जाए।
18	धारा 175 (4)	संज्ञान के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरूद्ध उसके कर्तन्यों के निर्वहन में किये गये किसी कृत्य के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर अन्वेषण का आदेश दे सकता है, किन्तु ऐसा आदेश देने से पूर्व मजिस्ट्रेट - 1 - ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मामले से सम्बन्धित तथ्यों व परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्राप्त आख्या और
		2 - ऐसा लोक सेवक जिस पर आरोप है, के द्वारा आरोप के सम्बन्ध में किये गये दावे पर विचार करेगा।
19	धारा 176 (2)	धारा 176 खण्ड (1) परन्तुक के उपखण्ड (क) और (ख) के सम्बन्ध में आगे कोई अन्वेषण कार्यवाही न करने के बावत सूचना दैनिक डायरी के साथ मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप में करेगा।
20	धारा 176 (3)	ऐसे अपराध किये जाने की सूचना जो 07 वर्ष या उससे के अधिक के कारावास से दण्डनीय है, प्राप्त होने पर थाने का भारसाधक अधिकारी घटना स्थल का निरीक्षण करने व वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित करने हेतु फोरेन्सिक विशेषज्ञ को साथ ले जाऐगा और उक्त समस्त कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाऐगी। (इस संहिता के प्रवर्तन से 05 वर्ष के अन्दर उक्त के लागू होने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जा सकेगा)
21	धारा 179 (1) परन्तुक (ii)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 179 (1) परन्तुक (2) के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है। (टिप्पणी -1. यदि उक्त संबंध में कोई महिला 2. 15 वर्ष से कम उम्र का बच्चा 3. 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति स्वयं अपनी मर्जी से थाने में उपस्थित होकर बयान दर्ज करवाना चाहता है तो उनकी लिखित सहमति ली जानी चाहिये

22	धारा 183	नई संहिता के तहत महिलाओं से सम्बन्धित अपराध के मामले में पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा अंकित की जाऐगी यदि महिला मजिस्ट्रेट न होने पर पुरूष मजिस्ट्रेट द्वारा बयान अंकित किया जाता है तो किसी महिला की उपस्थिति में लिया जाऐगा। 10 वर्ष या उससे अधिक कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय अपराध के मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष लाये गये किसी साक्षी का कथन मजिस्ट्रेट द्वारा लिखा जाऐगा ।
23	धारा 185	पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी- पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी अन्वेषण के दौरान की जाने वाली तलाशी का मोबाइल फोन/श्रव्यदृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी। ऐसे अभिलेख की प्रतियां तत्काल, किन्तु 48 घण्टों के पश्चात न हो,
		निकटतम सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जायेंगी। जिस स्थान की तलाशी ली गयी है उसके स्वामी या अधिभोगी को उसके आवेदन पर एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जायेगी।
24	धारा 187	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया- इस सम्बन्ध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किये गये हैं- 1- **पुलिस रिमाण्ड के सम्बन्ध में**- 60 दिन या 90 दिन जैसी स्थिति हो, में से पहले 40 दिन या 60 दिन के दौरान पुलिस रिमाण्ड ली जा सकती है पुलिस रिमाण्ड कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक नहीं होगी। पूर्व में प्रथम 15 दिवस तक ही पुलिस रिमाण्ड दिये जाने का प्राविधान था। 2- **डिफॉल्ट बेल के सम्बन्ध में**- (I) मजिस्ट्रेट कुल मिलाकर 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए निरोध प्राधिकृत नहीं करेगा जहाँ अन्वेषण ऐसे अपराध के सम्बन्ध में हो जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्ष की अवधि या अधिक के लिए कारावास से दण्डनीय है तथा अन्य अपराध के सम्बन्ध में 60 दिन से अधिक अवधि के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा।
25	धारा 193 (2)	भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64,65,66,67,68,70,71 के साथ पोक्सो अधिनियम की धारा 4,6,8 व 10 से सम्बन्धित मामले में अन्वेषण की कार्यवाही 60 दिन में पूरी की जाऐगी।
26	धारा 193 (i) (झ)	इलैक्ट्रानिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम। (टिप्पणी - इलैक्ट्रॉनिक दस्तावेजों का उल्लेख आरोप पत्र में किया जाएगा)
27	धारा 193(3) (ii)	मामले के अन्वेषण में हुई प्रगति के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता / पीड़ित को 90 दिन के अन्दर सूचना दी जाऐगी। (टिप्पणी - उत्त प्रोविज़न के संबंध में अभिप्राय है कि 90 दिन के अंदर विवेचना में हुई प्रगति के संबंध में पीड़िता या वादी को अवगत कराया जाएगा)
28	धारा 193 (9)	विचारण के दौरान किसी मामले में अग्रेतर अन्वेषण न्यायालय के अनुमति से किया जाऐगा और ऐसा अग्रेतर अन्वेषण अनुमति की तिथि से 90 दिन के अन्दर पूरी की जाऐगी और ऐसी अवधि विचारण न्यायालय की अनुमति से बढायी जा सकेगी। (टिप्पणी - (1) अग्रेतर अन्वेषण के लिए सम्बंधित न्यायालय से
		अनुमति प्राप्त करनी होगी। (2) अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र में ऐसे तथ्य इंगित करने होंगे ताकि न्यायालय को यह स्पष्ट हो जाए कि मामले में अग्रेतर विवेचना की आवश्यकता है। (3) अनुमति प्राप्त होने पर अग्रिम विवेचना 90 दिन में पूर्ण करनी होगी अन्यथा न्यायालय से अधिक समय की अपेक्षा की जाएगी।
29	धारा 195 (1) परन्तुक (2)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 195 (1) परन्तुक ((2) के अनुसार यदि ऐसा व्यक्ति (महिला, 15 वर्ष से कम आयु का या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति) पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है।
30	धारा 202	धारा 202 में पत्र आदि के अतिरिक्त इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से किये गये अपराध के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित प्रावधान किया गया है।
31	धारा 230	धारा 230 में प्रावधान किया गया है कि सम्बन्धित दस्तावेज को अभियुक्त के साथ - साथ पीड़िता या उसके अधिवक्ता को दी जाऐगी।

32	धारा 349	नमूना हस्ताक्षर व नमूना हस्तलेख के अतिरिक्त वॉयस सैम्पल को सम्मिलित किया गया है। लिखित कारणों के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से गिरफ्तार किये बिना नमूना हस्ताक्षर व नमूना हस्तलेख, वॉयस सैम्पल देने का आदेश कर सकता है।
33	धारा 360	वाद वापसी के मामले में वादी का सुना जाना आवश्यक है।
34	धारा 497	कुछ मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश - सम्पत्ति के व्ययन किये जाने के दौरान सम्पूर्ण कार्यवाही की फोटोग्राफी, वीड़ियोग्राफी की जाऐगी।
35	धारा 497 (2)	न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति के प्रस्तुत किये जाने की तिथि से 14 दिन के अन्दर न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त सम्पत्ति का एक विवरण तैयार करेगा जो ऐसे प्रारूप में होगा जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा विहित करे । ऐसी सम्पत्तियों का फोटोग्राफी / वीड़ियोग्राफी किया जाऐगा, जो साक्ष्यों में उपयोग में लाया जाऐगा। ऐसी सम्पत्तियों का विवरण, फोटोग्राफी/वीड़ियोग्राफी तैयार कर लेने के पश्चात 30 दिन के अन्दर ऐसी सम्पत्तियों के व्ययन का आदेश देगा।

भाग - घ

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 व भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों का तुलनात्मक विवरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973		भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
	अध्याय 1 (प्रारंभिक)		**अध्याय 1(प्रस्तावना)**
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2	परिभाषाएँ	2	परिभाषाएँ (कुछ नई परिभाषाएँ जोड़ी गई हैं)***
3	निर्देशों का अर्थ लगाना	3	निर्देशों का अर्थ लगाना
4	भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण	4	भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण
5	व्याप्ति	5	व्याप्ति
अध्याय 2 (दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन)		**अध्याय 2 (दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन)**	
धारा	**शीर्षक**	**धारा**	**शीर्षक**
6	दंड न्यायालयों के वर्ग	6	दंड न्यायालयों के वर्ग
7	प्रादेशिक खंड	7	प्रादेशिक खंड
8	महानगर क्षेत्र	इस संहिता में प्रावधान नहीं है	
9	सत्र न्यायालय	8	सत्र न्यायालय
10	सहायक सत्र न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना		इस संहिता में प्रावधान नहीं है
11	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	9	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय
12	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि	10	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि
13	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट	11	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट
14	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	12	न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
15	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	13	न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
16	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय	संहिता में प्रावधान नहीं है	
17	मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट		संहिता में प्रावधान नहीं है
18	विशेष महानगर मजिस्ट्रेट		
19	महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	14	कार्यपालक मजिस्ट्रेट

20	कार्यपालक मजिस्ट्रेट	14	कार्यपालक मजिस्ट्रेट
21	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट	15	विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट
22	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता	16	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता
23	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना	17	कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना
24	लोक अभियोजक	18	लोक अभियोजक
25	सहायक लोक अभियोजक	19	सहायक लोक अभियोजक
25 क	अभियोजन निदेशालय	20	अभियोजन निदेशालय (संशोधन)***
अध्याय 3 (न्यायालयों की शक्ति)		अध्याय 3 (न्यायालयों की शक्ति)	
26	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं	21	न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं
27	किशोरों के मामलों में अधिकारिता	संहिता में प्रावधान नहीं है।	
28	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे	22	दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे
29	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे	23	दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे
30	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश	24	जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश
31	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश	25	एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश
32	शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग	26	शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग
33	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ	27	नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ
34	शक्तियों को वापस लेना	28	शक्तियों को वापस लेना
35	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना	29	न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना
अध्याय 4 क वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ		**अध्याय 4 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ**	
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ	30	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ
ख-मजिस्ट्रेटों और पुलिस को सहायता			
37	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी	31	जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी
38	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है	32	पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है
39	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना	33	कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना
40	ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य	34	ग्राम के मामलों के सम्बन्ध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्त्तव्य
अध्याय 5(व्यक्तियों की गिरफ्तारी)		**अध्याय 5(व्यक्तियों की गिरफ्तारी)**	
41	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी	35 (1)	पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी (संशोधन)***

toppersnotes
Unleash the topper in you